

## प्रारूप-21ग

नियम 64 देखिये

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

14-धनोल्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री प्रीतम सिंह पंवार, ग्राम - थान पोस्ट- भवान जिला टिहरी गढ़वाल, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- नई टिहरी

तारीख-10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग ऑफिसर  
14 धनोल्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
लक्ष्मीरज चौहान  
(उपजिलाधिकारी धनोल्ती)  
रिटर्निंग ऑफिसर,

14 धनोल्ती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।

# FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)  
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation  
of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Utrakhand State From  
14-Dhanolti Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions Contained in section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951 Read with rule 64 of the  
Conduct of Elections Rules 1961, I declare that-

Shri Pritam Singh Panwar, Village Than, Post Bhawan , Tehri  
Garhwal sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected  
to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- New Tehri

Date:- 10/03/2022

Signature.....

Laxmi Raj Chauhan

Returning Officer

14 Dhanolti AC

डिप्टी ऑफिसर  
14 धनोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
(विधानसभा धनोली)  
तेहरी गढ़वाल